Amendment to the central insecticides act

3216. SHRI YERRA NARAYANA-SWAMY: Will the PRIME MINISTER be pleascd to state:

(a) whether Government of Andhra Pradesh has proposed amendments to the Central Insecticides Act;

(b) if so, the details of the proposed amendments;

(c) whether Government have ex amined the proposal; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRl SOMPAL): (a) Yes, Sir.

(b) The details of the proposals are given in the Statement attached (See below).

(c) and (d) The proposals are under consideration of the Government.

Statement

Proposed amendments to Insecticides Act, 1968

S.No.	Amendment proposed by Government of Andhra Pradesh
(1)	Amendment of Section 22(3) for non-payment of cost of sample if the sample fails and for payment of two portions of the sample if the sample passes.
(2)	Amendment of Section 21(l)(d) to stop sale of pesticides for a maximum period of 60 days instead of 20 days.
(3)	Amendment of Section 29(4) to allow publicity of the manufacturers of spurious pesticides through Newspapers, Air, TV etc.
(4)	Amendment of Section 18(c) for banning the sale of entire product of a manufacturing unit and not a particular batch whose sample has failed.

मत्स्य पालन विकास के लिए विश्व बैंक की सहायता

3217. **श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्लाः** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विश्व बैंक उड़ीसा व गुजरात समेंत देश के अन्य राज्यों को मत्स्य पालन परियोजना के विकास के लिये सहायता प्रदान कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौना क्या है;

(ग) विश्व बैंक की सहायता से यह परियोजना किन किन राज्यों में चलाई जा रही है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष विश्व बैंक से सहायता के रूप में कुल कितनी धनराशि प्राप्त की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम पाल): (क) से (ग) विश्व बैंक एक झींगा तथा मत्स्य पालन परियोजना (सी आर-2329- आई एन) को सहायता दे रहा है जो 283.63 करोड़ रुपए (उस समय की मौजूदा दरों पर 95 मिलियन अमेरिकी डालर के समतुल्य) की कुल अनुमानित लागत पर सात वर्षों की अवधि के लिए दिनांक 28.5.1992 से ऋण प्रभावी हो गई थी जिसमें से 90 प्रतिशत राशि अंतर्राष्ट्रीय विकास परिसंघ के ऋण के रूप में उपलब्ध कराई गई है तथा शेष 10 प्रतिशत धनराशि की केन्द्र/भागीदार राज्यों तथा लाभार्थियों द्वारा हिस्सेदारों समुदायों तथा मत्स्य कृषकों के आर्थिक तथा सामाजिक कल्याण में सुधार करेंगे। इस परियोजना से समुद्र तटीय क्षेत्रों में भूमि के क्षारीय भाग का उपयोग करने तथा विदेशी मुद्रा अर्जुन में वृद्धि करने में भी मदद मिलेगा। इस परियोजना में ये शामिल हैः (1) खारा जल झींगा घटक तथा (2) अंतर्देशीय मात्स्यिका घटक।

इस परियोजना का क्रियान्वयन आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल बिहार तथा उत्तर प्रदेश नामक पांच राज्यों में किया जा रहा है। जबकि मत्स्य पालन घटक का क्रियान्वयन सभी पांच राज्यों में किया जा रहा है, झींगा पालन घटक का क्रियान्वयन आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में किया जा रहा है। गुजरात को इस परियोजना के तहत शामिल नहीं किया गया है।

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान विश्व बैंक से सहायता कुल राशि का ब्यौरा नीचे दिया गया हैः

वर्ष	विश्व बैंक से प्राप्त सहायता (रुपए लाख में)
1995-96	949.41
1996-97	1447.88
1997-98	-*

*परियोजना के तहत ऋण राशि के निलम्बन के कारण इस अवधि के दौरान कोई धनराशि प्राप्त नहीं की गई थी।

देश में खाद्यात्र उत्पादन

3218. **श्री ओंकार सिंह लखावतः** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) हमारे देश में गत वर्ष गेहूं, चावल, ज्वार-बाजरा इत्यादी जैसे खाद्यात्रों का कुल कितना है;

(ख) अनाज, दालों, तिलहन व अन्य खाद्यात्रों के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार की योजना क्या है; और

(ग) खाद्यात्र उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम पाल):
(क) पिछले वर्ष अर्थात् 1996-97 के दौरान गेहूं, चावल, मोटे अनाजों, दलहनों और सभी खाद्यात्रों का अखिल भारतीय उत्पादन क्रमशः 69.27, 81.31, 34.28, 14.46 और 199.32 मिलियन मी. टन था।

निर्धारित समय में चावल, गेहूं आदि जैसी विशेष जिन्सों की वार्षिक मांग जनसंख्या की विशेषताओं, उत्पादन, उपलब्धता, आय वितरण, मूल्य प्रवृत्ति, उपभोक्ता प्रवृत्ति, विकल्प की उपलब्धता और अन्य संबंधित मामलों जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है। इस प्रकार पूर्णतया सही वार्षिक मांग का निर्धारण करना कठिन है। नौवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने के लिए कृषि जिन्सों की मांग और आपूर्ति प्रक्षेपण तथा कृषि सांख्यिकी के विकास संबंधी कार्यकारी दल ने 1996-97 के लिए 185.50 मिलियन मी. टन खाद्यात्रों की मांग का अनुमान लगाया है।

(ख) खाद्यान्न फसलों के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए, सरकार गेहूं, चावल और मोटे अनाजों पर आधारित फसल प्रणाली क्षेत्रों में केन्द्रीय प्रायोजित समन्वित अनाज विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना कार्यान्वित कर रही है। इन कार्यक्रमों को नौवीं योजना में जारी रखने का प्रस्ताव है।

(ग) 1996-97 के दौरान राजस्थान में खाद्यात्रों का उत्पादन 12.84 मिलियन मी. टन था जो देश में उत्पादन कुल खाद्यात्रों का 6.44 प्रतिशत है।

Inrrastructural Facilities for Seed Production

3219. SHRI W. ANGOU SINGH: Will the PRIME MTNISTER be pleased to state:

(a) the steps taken by Government to strengthen infrastructural facilities for seed production in the country; and

(b) what are the special facilities for strengthening seed production in the North-Eastern State?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SOMPAL): (a) With the objective of strengthening infrastructural facilities for seed production, the National Seeds Corporation (NSC), the State Farms Corporation of India Ltd. (SFCI) and 13 State Seeds Corporations have been established in the country. In addition an infrastructure for certification of seeds under the provisions of the Seeds Act has been established. In the Vlllth Five Year Plan the Government of India has implemented a number of Central Sector/ Centrally Sponsored Schemes for strengthening facilities in the seed sector. Assistance has been provided to organisations engaged in production and quality certification of seeds under the National Seed Projcct-III, National Programme for Varietal Development, Integrated Seed Development Programme for not easily accessible and remote areas and scheme for Quality Control Arrangement on seed. Under these scheme assistance was provided to